

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, सैक्टर 31 ए
चण्डीगढ़-160030
दिनांक 15.07.2013

फाईल नम्बर:-9-HPC733/2012-CHA

सेवा में,

प्रधान सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग,
सिविल सचिवालय,
शिमला।

विषय:-

Diversion of 32.91 hectares of forest land in favour of HP Power Corporation Limited for construction of 48 MW Surgani-Sundla Hydro Electric Project, within the jurisdiction of Churah Forest Division Salooni, District Chamba, Himachal Pradesh.

Ref:

नोडल आफिसर एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) हिमाचल प्रदेश, शिमला के पत्र संख्या Ft. 48-2425/2012 (FCA) दिनांक 11.12.2012 & 13.06.2013

महोदया,


कृपया उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की उपर्युक्त विषय के लिये अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **6.0897** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

- i. प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- ii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से निम्नलिखित वन भूमि की नैट प्रजैट वैल्यु जमा करवाई जाये।
- iii. भारत सरकार पत्र संख्या 12-2/2010-CAMPA दिनांक 24.06.2011 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या Himachal Pardesh CAMPA SB01025210, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ.काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 या लेखा संख्या Himachal Pardesh CAMPA SB344902010105419 युनियन बैंक आफ इण्डिया, सुंदरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और इस कार्यालय को वांछित प्रोफार्मा द्वारा सूचित किया जाए।
- iv. Environmental Clearance be submitted.
- v. प्रस्ताव से सम्बन्धित CAT Plan भेजे।

3. उपर्युक्त शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। **केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिये।**

भवदीय


(ईश्वर सिंह)

I/C अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)



Contd...2/-

प्रतिलिपि:

1. अपर वन महानिदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला ।
3. Divisional Forest Officer, Churah Forest Division Salooni, Distt. Chamba, Himachal Pradesh.
4. ER. N.K. Sharma, Dy. General Manager, Surgani Sundla HEP, HPPCL Chamba, Distt. Chamba, Himachal Pradesh.
5. गार्ड फाईल ।